

9856  
2021/648

सेतोय बनाम 208 लखनौ

आदेश दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
19/11/21	यह प्रार्थना पत्र की ओर अधिवक्ता श्री <del>दीपक लोकी</del> द्वारा प्रस्तुत करने पर बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 5/10/21 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़	
5/8/14	आज पत्रावली पेश हुई। तकुलाब करिकन उपस्थित। पी.डी.ओ. अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है/समय पर है। जिसल आयन्दा गत आदेशानुसार दिनांक 30/9/14 को पेश हो।  रीडर	
30/9/14	आज पत्रावली पेश हुई। तकुलाब करिकन उपस्थित। पी.डी.ओ. अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है/समय पर है। जिसल आयन्दा गत आदेशानुसार दिनांक 5/10/14 को पेश हो।  रीडर	
05/12/21	आज पत्रावली पेश हुई। तकुलाब करिकन उपस्थित। पी.डी.ओ. अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है/समय पर है। जिसल आयन्दा गत आदेशानुसार दिनांक 29/11/21 को पेश हो।  रीडर	
28/12/21	आज पत्रावली पेश हुई। तकुलाब करिकन उपस्थित। पी.डी.ओ. अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है/समय पर है। जिसल आयन्दा गत आदेशानुसार दिनांक 25/01/22 को पेश हो।  रीडर	
25/02/22	आज पत्रावली पेश हुई। तकुलाब करिकन उपस्थित। पी.डी.ओ. अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है/समय पर है। जिसल आयन्दा गत आदेशानुसार दिनांक 07/04/22 को पेश हो।  रीडर	

07 <sup>04</sup>/<sub>22</sub>

दकील न्यायकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी  
अवकाश/भ्रमण/अन्य कार्य पर है। मिसल  
आमन्दा दिनांक दिनांक 19/08/22 को  
पेश हो।

रीडर

19 <sup>05</sup>/<sub>22</sub>

दकील न्यायकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी  
अवकाश/भ्रमण/अन्य कार्य पर है। मिसल  
आमन्दा दिनांक दिनांक 30/06/22 को  
पेश हो।

रीडर

30 <sup>06</sup>/<sub>22</sub>

दकील न्यायकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी  
अवकाश/भ्रमण/अन्य कार्य पर है। मिसल  
आमन्दा दिनांक दिनांक 18/08/22 को  
पेश हो।

रीडर

18 <sup>08</sup>/<sub>22</sub>

दकील न्यायकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी  
अवकाश/भ्रमण/अन्य कार्य पर है। मिसल  
आमन्दा दिनांक दिनांक 20/10/22 को  
पेश हो।

रीडर

20/10/22

दकील न्यायकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी  
अवकाश/भ्रमण/अन्य कार्य पर है। मिसल  
आमन्दा दिनांक दिनांक 16/12/22 को  
पेश हो।

रीडर

16/12/22

आज यह पत्रावली पैदा हुई। वादी की बार-बार आवाज  
माताई जई आवाज पर लगे वादी हाजिर आने  
लगे उसी और से कोई अधिवक्ता उपस्थित आने  
अतः वाद-वादी अग्र हाजरी अग्र पेशी में खारीज  
किया जाता है पत्रावली फैसला हुआ है और लम्बर  
से कम है बाद जाहदा सिकम रफा है

उपस्थित अधिकारी